

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

पहानदी भवन, नया रायपुर

क्र/एफ 13-5/2016/20-तीन (1)

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति,

कलेक्टर,

जिला- बलौदाबाजार, बलौदापुर, बस्तर, बेगतरा, बिलासपुर, गरियाबंद
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरिया, कोण्डगांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय:- 59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

—0—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। मई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएचडी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, चित्रगुप्त रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु -

(क) भवन -

1. अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें/ निर्देश जारी करें।
2. विद्यालय एवं मैदान का जवाबदारी छ.ग.शासन के पास ही रहेगा।
3. सभी विद्यालय जहां है, वैसे ही के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
4. विद्यालय में लगने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रकृत चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भी उन्हें स्थापन पश्चात् दी जा सकती है।
7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

Real

(ख) अध्यापन -

1. शाला का सम्पूर्ण संचालन उक्त संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर-शैक्षकीय गतिविधियां भी उनके दायित्व में रहेगा।
2. शाला का कक्षा 1वीं से 12वीं तक निजी संस्था के माध्यम से संचालन होगा।
3. इन विद्यालयों में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से शासन की ओर से कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होंगे और न ही पदांकित होंगे।
4. संस्था द्वारा दो पार्टियों में सुविधानुसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
5. इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित होगी।
6. किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 90 होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 02 सेक्शन होंगे।
7. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्ण अनुमति से दो से ज्यादा सेक्शन भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
8. विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
9. जिन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तान्तरण हेतु होने वाला व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन -

1. इन 59 विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रु. 7216 प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
2. संस्था स्वयं के साधन से गैर-संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर अन्य विद्यार्थियों से fees प्राप्त कर सकता है।
3. अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए 04 सूचकांक तय किए गए हैं, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले "गुणमान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम - 19 में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे-
 1. 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या,
 2. निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना,
 3. ड्रॉप आउट अनुपात, एवं
 4. कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीसीई में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला-

1. इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा किया जाएगा।

real

2. कक्षा 6वीं अथवा आगे की कक्षाओं में कोई भी नया दाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था जो विद्यालयों में रिक्त सीटों पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेगी। सभी कक्षाओं में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत सीट RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेशन मानते हुए प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकती हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके फीस की प्राप्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों का संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था से सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी।

(च) अन्य निर्देश -


1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तों का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनल्टी एवं टर्निशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

mal

1/4/16

5. संस्था द्वारा अनुबंध समाप्ति के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का संचालन करना अनिवार्य होगा।
5. प्रभावशील राज्य एवं केन्द्र के कानून, नियम एवं निर्देश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्न- 59 विद्यालयों की सूची।



30/3/16
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./एफ 13-5/2016/20-तीन (J)
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, -बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक आयुक्त, आदिग जाति कल्याण विभाग, जिला - बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कवीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ।



30/3/16
सचिव

छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

59 मॉडल स्कूल

क्र.	जिला	विकासखंड	मॉडल स्कूल का नाम
1	बलौदाबाजार	विजापूर	खमहरिया
2	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	छरछेत
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	साहरी
4	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	टिकुलिया
5	बलसामपुर	बलसामपुर	गवरमाल
6	बलसामपुर	बलसामपुर	प्रेमनगर
7	बलसामपुर	बलसामपुर	पतराव
8	बलसामपुर	बलसामपुर	करमरी
9	बलसामपुर	बलसामपुर	आडावाल
10	बलसामपुर	बलसामपुर	सिधनपुर
11	बलसामपुर	बलसामपुर	गुमदपाला (छिदावाडा)
12	बलसामपुर	बलसामपुर	लमदागुडा
13	बलसामपुर	बलसामपुर	लालागुडा
14	बलसामपुर	बलसामपुर	उल्लार
15	बलसामपुर	बलसामपुर	जाता
16	बलसामपुर	बलसामपुर	गोडी
17	बलसामपुर	बलसामपुर	सरबहरा
18	बलसामपुर	बलसामपुर	गोबरीपाट
19	बलसामपुर	बलसामपुर	कुम्हारी
20	बलसामपुर	बलसामपुर	वेदपरसदा
21	बलसामपुर	बलसामपुर	कुडकई
22	बलसामपुर	बलसामपुर	देवरी खुर्द
23	बलसामपुर	बलसामपुर	मुंगडार
24	बलसामपुर	बलसामपुर	देहरगुडा
25	बलसामपुर	बलसामपुर	कुआबीड
26	बलसामपुर	बलसामपुर	बगीचा
27	बलसामपुर	बलसामपुर	कांसाबेल
28	बलसामपुर	बलसामपुर	पंडरी पानी
29	बलसामपुर	बलसामपुर	धरमपुरा
30	बलसामपुर	बलसामपुर	लडुवा
31	बलसामपुर	बलसामपुर	देव खरगांव
32	बलसामपुर	बलसामपुर	बेलगांव
33	बलसामपुर	बलसामपुर	बड़े डोंगर
34	बलसामपुर	बलसामपुर	विश्रामपुरी (होनावण्डी)
35	बलसामपुर	बलसामपुर	मरकागुडा पारा
36	बलसामपुर	बलसामपुर	खरमोरा
37	बलसामपुर	बलसामपुर	बडमार
38	बलसामपुर	बलसामपुर	जेन्जरा

39	कोरवा	फली	सैला
40	कोरवा	फडी खरोडा	डोगरतरा (भावर)
41	कोरिया	खडगवन	सकरिया
42	कोरिया	मन्दगढ	कछीद
43	कोरिया	भरतपुर	जनकपुर
44	मुगेली	भुली	बीरगाव फुलवारी
45	मुगेली	फारिया	जरली (पिण्डी)
46	मुगेली	तारमी	कांतरी
47	रायगढ	लुंगी	कुजारा
48	रायगढ	धर्मजयगढ	धर्मजयगढ
49	सरगुजा	मिपाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा	लवतपुर	कवडी
51	सरगुजा	कमली	भटकी
52	सरगुजा	लुङी	कडकी
53	सरगुजा	सोनापुर	प्रतापगढ
54	सरगुजा	आंबिकापुर	परसा
55	सरगुजा	खटपुर	सन्नीवरा
56	सूरजपुर	मैदाथान	जागडी
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	कनकनगर
58	सूरजपुर	ओडगी	कलामंजन
59	सूरजपुर	सूरजपुर	तिलिसवा


 डायर सचिव
 छत्तीसगढ शासन
 स्कूल शिक्षा विभाग
 मन्त्रालय, रायपूर